

# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 77/2018

वादी  
1 जयराम पुत्र  
रावताराम जाति  
प्रजापत निवासी चक  
धोलका तहसील व  
जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण  
1 सेवाराम 2 गिरधारीराम पिसरान रावताराम 3 माण्डू देवी  
पत्नी भेराराम 4 प्रागाराम पुत्र भेराराम 5 छगनीदेवी पत्नी  
चनणाराम 6 भीमाराम 7 मुकेश 8 मदन पिसरान चनणाराम 9  
भगवानाराम 10 ठाकराराम पिसरान भीखाराम 11 लाखाराम  
के कायम मुकाम 11/1 भूराराम 11/2 हमीराम पिसरान  
लाखाराम 11/3 वगजूदेवी पत्नी लाखाराम 12 हरीराम पुत्र  
पेमराम जाति प्रजापत निवासी चक धोलका तहसील व  
जिला बाड़मेर 13 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 RTA Act.

- उपस्थिति :-
1. श्री सुखराम वकील वादी।
  2. श्री प्रेम प्रजापत वकील प्रतिवादी संख्या 09।
  3. श्री रावताराम प्रजापत वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 08, 10 व 12।
  4. श्री नारायण कुमावत वकील प्रतिवादी संख्या 11 के कायम मुकाम।

## निर्णय

दिनांक 11.9.18

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा चक धोलका पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 228/105 रकबा 29.12 बीघा, खसरा संख्या 230/107 रकबा 29.09 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 14.12 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 76 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 77 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 78 रकबा 01.02 बीघा व खसरा संख्या 79 रकबा 57.18 बीघा भूमि के आये हुए है। उक्त भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 व 10 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अभिलेख में हिस्सा अंकित नही होने से तथा बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा वादीगण अपना हिस्सा पृथक करवाने तथा बंटवाड़ा करने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।  
वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 12 उपस्थिति।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की और से इकबाली जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित अनुसार उनका भी हिस्सा पृथक कर भूमि का विभाजन किया जाने का निवेदन किया है। वादी की साक्ष्य ली गई, जिसमें वाद कथन की।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के अवलोकन से ज्ञात होता

सहायक कलक्टर  
(SDO) बाड़मेर

है कि मौजा चक धोलका पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 228/105 रकबा 29.12 बीघा, खसरा संख्या 230/107 रकबा 29.09 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 14.12 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 76 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 77 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 78 रकबा 01.02 बीघा व खसरा संख्या 79 रकबा 57.18 बीघा भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का भी 1/4 हिस्सा में खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा चक धोलका पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 228/105 रकबा 29.12 बीघा, खसरा संख्या 230/107 रकबा 29.09 बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 14.12 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 76 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 77 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 78 रकबा 01.02 बीघा व खसरा संख्या 79 रकबा 57.18 बीघा भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12 का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान की कब्जा काश्त की भूमि का पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीशनर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।



निर्णय आज दिनांक 11-9-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(बाडमेर)

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(बाडमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)  
अनवान

प्राथमिक डिकरी

प्रतिवादीगण

वादी  
1 जयराम पुत्र रावताराम  
जाति प्रजापत निवासी चक  
धोलका तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

1 सेवाराम 2 गिरधारीराम पिसरान रावताराम 3 माण्डू  
देवी पत्नी भेराराम 4 प्रागाराम पुत्र भेराराम 5 छगनीदेवी  
पत्नी चनणाराम 6 भीमाराम 7 मुकेश 8 मदन पिसरान  
चनणाराम 9 भगवानाराम 10 ठाकराराम पिसरान भीखाराम  
11 लाखाराम के कायम मुकाम 11/1 भूराराम 11/2  
हमीराराम पिसरान लाखाराम 11/3 वगजूदेवी पत्नी  
लाखाराम 12 हरीराम पुत्र पेमाराम जाति प्रजापत निवासी  
चल धोलका तहसील व जिला बाड़मेर 13 तहसीलदार  
बाड़मेर।

दावा बाबत् 53, 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 77/2018

निर्णय दिनांक :- 11-9-19

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख  
..... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष  
अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिकरी  
निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा प्राथमिक रूप से  
स्वीकार किया जाकर मौजा चक धोलका पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के  
खेत खसरा संख्या 228/105 रकबा 29.12 बीघा, खसरा संख्या 230/107 रकबा 29.09  
बीघा, खसरा संख्या 69 रकबा 14.12 बीघा, खसरा संख्या 75 रकबा 0.04 बीघा, खसरा  
संख्या 76 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 77 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 78 रकबा  
01.02 बीघा व खसरा संख्या 79 रकबा 57.18 बीघा भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा,  
प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का  
संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा,  
प्रतिवादी संख्या 05 से 08 का संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 व 10  
प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 12  
का भी 1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर को मौका  
कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान की कब्जा काश्त की भूमि  
का पक्षकारान एवं मौतबिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में  
उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके  
पर अदा की जायेगी।

यह आज तारीख 11-9-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा  
लगाकर दी गई है।



(नीरज मिश्र)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
(S.D.O.) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्सप
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमीश्नर की फीस	कमीश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़